कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी (म0प्र0)

क्र0	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	पात्रता	आवेदन कहॉ करें ?
1	जननी सुरक्षा योजना	– जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत शासकीय अस्पतालों के **सामान्य वार्ड में भर्ती होने वाले हितग्राही को शहरी क्षेत्र मे कुल राशि 1200/– दी जाती है** जिसमे से लाभान्वित हितग्राही माता को 1000/– एवं प्रेरक को 200/– रू0 की राशि प्रदाय की जाती हैं, **ग्रामीण क्षेत्र के शासकीय अस्पताल में भर्ती होने वाले हितग्राही/प्रेरक को कुल 2000/– रू0 प्रदाय की जाती है** जिनमे से गर्भवती माता को 1400/– रू0 परिवहन 250/– प्रेरक को 200/–रू0, अन्य भत्ते 150/– रू0 प्रदाय किये जाते है।	शासकीय अस्पताल मे भर्ती होकर प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को लाभ प्रदाय किया जाता है बसर्ते वह अस्पताल के प्राइवेट वार्ड मे भर्ती न हो।	आवेदन की आवश्यकता नही होती प्रसव उपरान्त संस्था द्वारा राशि प्रदाय कि जाती है।
2	दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना	यह योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे सभी गरीब व्यक्तियों को शासकीय अस्पताल में भरती होने पर निःशुल्क इलाज प्रदाय कराने की है। एक परिवार के कुल सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रू. 20,000 की सहायता उपलब्ध होगी।	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को लाभ प्रदाय करना।	जिस संस्था मे उपचार हेतु भर्ती होते है।
3	जननी एक्सप्रेस योजना	इस योजना के तहत रोगी कल्याण समिति को प्रसव परिवहन मद से 250/– रू0 प्रदाय किया जाता है जिसमें गर्भवती महिलाओं को अनुबंधित वाहन द्वारा प्रसव हेतु संस्था मे पहुॅचाने की व्यवस्था की जाती है, एवं जो गर्भवती महिला स्वयं के वाहन से आती है उन्हे 250/– रू0 की राशि परिवहन हेतु प्रदाय किया जाता है।	दूरभाष के माध्यम से एंव सम्पर्क करने पर वाहन घर पर उपलब्ध हो जाता है।	कोई औपचारिकता नही।
4	दीनदयाल चलित अस्पताल योजना	यह योजना 05 ट्राइवल ब्लॉक लखनादौन, कुरई, छपारा, धनौरा एवं घंसौर मे लागू है इस योजना के तहत आदिवासी वाहुल्य क्षेत्रो में जनसमुदाय को स्वास्थ्य लाभ पहुॅचाना।	कोई भी मरीज जिसे लाभ प्राप्त करना चलित अस्पताल तक पहुॅचकर लाभ प्राप्त कर सकता है। यह वाहन सुदूर हाट बजार मे पहुॅचता हैं।	–

क्र0	योजना का नाम	योजना का संक्षिप्त विवरण	पात्रता	आवेदन कहॉ करें ?
5	मध्य प्रदेश राज्य/जिला बीमारी सहायता निधि योजना	गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के सदस्यों को चिन्हांकित गंभीर बीमारी होने पर उपचार के लिए सहायता उपलब्ध कराया जाना। सम्बंधित चिकित्सालय के नाम से सहायता राशि राज्य स्तर से राशि रू 75000–150000 तक तथा जिला स्तर से राशि रू 25000–75000 तक	1. गरीबी रेखा सम्बंधी बी.पी.एल. राशन कार्ड की अभिप्रमाणित छाया प्रति। 2. मूल निवासी प्रमाण–पत्र– सक्षम अधिकारी का अभिप्रमाणित प्रति। 3. हितग्राही के पासपोर्ट साईज के दो छायाचित्र। 4. योजनांतर्गत मान्यता प्राप्त चिकित्सालय से उपचार में होने वाले व्यय का स्टीमेट। 5. किसी अन्य शासकीय योजनांतर्गत आर्थिक सहायता पूर्व में प्राप्त नही हुई है, का शपथ पत्र। 6. बी.पी.एल. प्रमाण पत्र की पुष्टि – सक्षम अधिकारी से– निर्धारित प्रपत्र में।	मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र नीचे दर्शाये अनुसार दस्तावेज सहित प्रस्तुत करे।
6	प्रेरणा योजना	इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के रहने वाले परिवारो को जिन्होने परिवार कल्याण के निश्चित मापदण्ड अपनाये है को को आर्थिक सहायता राशि 14,000/– से 19,000/– तक पुरूष्कार के रूप मे प्रदान की जाती है हितग्राहियो का चयन संचालनालय भोपाल स्तर से किया जाता है।	गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले वे परिवार जिन्होने 1. 19 साल या ज्यादा की उम्र में बालिकाओं का विवाह हो। 2. विवाह के 02 साल बाद पहली संतान हो। 3. दूसरी संतान पहिली संतान के 03 साल बाद हो 4. दूसरी संतान के होने के 01 साल के भीतर पुरूष या महिला की नसबंदी हो।	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी सिवनी में हस्तालिखित आवेदन पत्र एवं पात्रता सबंधी प्रमाण पत्रो के दस्तावेज कार्यालयलीन समय मे जमा किये जा सकते है।